|| ○

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य–1073/2018–60/21-22 5o6a/o /राँची, दिनांक 23.03.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **साहेबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रूपये 361.35 करोड़ (रूपये तीन सौ एकसठ करोड़ पैंतिस लाख) मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन साहेबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रूपये 361.35 करोड़ (रूपये तीन सौ एकसठ करोड़ पैंतिस लाख) मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. झारखण्ड राज्य के साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहेट प्रखंड के पेटखासा ग्राम के नजदीक राजमहल हिल्स से निकलने वाली गुमानी नदी पर 79.50 मी0 लम्बाई में बराज निर्मित है।

बराज से निःसृत होने वाले मुख्य नहर (ल०–33.60 कि0मी0) एवं मुख्य नहर से निःसृत 04 (चार) अदद् वितरणी, बरहरवा शाखा नहर (ल०–24.60 कि०मी०)से निःसृत 06 (छः) अदद् वितरण प्रणालियों के निर्माण से साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला के अंतर्गत अत्यंत ही पिछड़ा, सूखाग्रस्त एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बरहेट, पतना, बड़हरवा, लिट्टीपाड़ा एवं हिरणपुर प्रखंडों के कुल 16194 हे0 क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। इस योजना का G.C.A. 34234 हे० एवं C.C.A. 22923 हे० है।

4. केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में कराये गए अतिरिक्त संरचनाओं के निर्माण तथा श्रम एवं सामग्रियों के मूल्यवृद्धि के कारण योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु प्राक्कलन का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया। गुमानी नदी के बायाँ एफलक्स बाँध एवं मोरांग नदी के बायाँ एवं दायाँ तट पर एफलक्स बाँध का निर्माण हेतु भू–अर्जन, Anti Flood Sluice Gates, Syphon, Service road on crest of existing afflux bundh का निर्माण कार्य किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त मयूरकोला, सतगाछी, झिकटिया, चुटिया, विशुनपुर एवं शहरी डोमपारा वितरणियों का निर्माण कार्य एवं झिकटिया, सतगाछी एवं मयूरकोला वितरणियों का अवशेष कार्य किया जाएगा।

5. पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत प्रावधान निम्न प्रकार है–

Sl. No	Sub Head	Provision as per 4th revised estimate (2007)	Expenditure up to 3/2021	Balance work to be done	Provision as per latest 5th revised estimate	% Increase in 5th Revised Estimate w.r.t. 4th Revised Estimate
1	2	3	4	5	6	7
1	A- Preliminary	16.98	17.01	9.23	26.23	54.49%
2	B- Land	253.75	440.90	1210.50	1651.40	550.80%
3	C- Work	3253.56	3760.42	5906.86	9667.28	197.13%
4	D- Regulator	196.66	242.52	5.45	247.97	26.09%
5	E- Fall	47.80	54.53	0.00	54.53	14.07%
6	F- CD Work	1871.18	2506.31	77.49	2583.80	38.08%
7	G- Bridges	573.85	1688.43	2981.35	4669.78	713.76%
8	H- Escape	45.07	108.07	0.00	108.07	139.79%
9	K- Building	95.08	233.07	0.00	233.07	145.13%
10	L- Earthwork	1774.82	4499.46	46.33	4545.79	156.13%
11	M- Plantation	6.29	0.29	0.00	0.29	
12	O- Miscellaneous	141.98	195.72	70.00	265.72	87.15%
13	P- Maintenance	125.80	365.60	21.41	387.01	261.21%
14	Q- Spl- T & P	61.38	29.61	10.71	40.31	
15	R- Communication	29.42	19.45	147.35	166.79	466.93%
16	U- Distribution	4140.82	556.62	5456.55	6013.17	45.22%
17	V- Water Course	394.00	0.00	0.00	0.00	
18	Y-Loss in Stock	10.00	53.58	0.00	53.58	435.79%
19	S-Stock	-6.65	0.00	0.00	0.00	
20	Establishment Charge	3199.00	0.00	0.00	0.00	
21	Oridanry T & P	7.75	7.30	0.00	7.30	
22	Missc. P.W.D.	0.00	521.34	0.00	521.34	
23	Purchase	0.00	-3.32	0.00	-3.32	
24	I- Work charge	0.00	16.47	0.00	16.47	
25	Mechanical Div.	0.00	98.00	0.00	98.00	
26	Establishment exp. upto 09/2005	0.00	2599.00	0.00	2599.00	
27	Cost of control cell 1% of I-work	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	Cost of Labour cess @ 1 % of I-work	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	Receipt & Recovery (Subtraction)	-25.09	0.00	0.00	0.00	
30	(a) Audit & A/C Charge	32.53	0.00	0.00	0.00	
31	(b) Abutment of Land Revenue	12.69	0.00	0.00	0.00	
	Total	**16258.67**	**18010.35**	15943.23	**33953.57**	**108.83%**
	Add GST @12% on the cost to be incurred (Rs. 15943.23 lakh)				1913.19	
	Add L. Cess @1% of Rs. 15943.23 + 1913.19 = 17856.41 lakh				178.56	
	Add CNC @0.5% of Rs. 15943.23 + 1913.19 = 17856.41 lakh				89.28	
	Grand Total :-				**36134.60**	**122.25%**

Balance Amount for online AA=Rs. 36134.60 Lakh – 18010.35 Lakh = **18,124.26 lakh**

6. प्राक्कलन में प्रयुक्त मद की लागत राशि जल संसाधन विभाग के वर्त्तमान अनुसूचित दर जून 2021 पर आधारित है।

7. पंचम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् व्यय की अवशेष राशि (Balance Amount) रू० 18124.26 लाख के लिए Online Administrative Approval निर्गत किया जायेगा।

8. योजना कार्य को वर्ष 2023–24 तक पूर्ण किया जाएगा।

9. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर तथा योजना से संबंधित कार्यपालक अभियंता, (i) सिंचाई प्रमण्डल सं०–1, बरहेट, (ii) सिंचाई प्रमण्डल, बरहड़वा एवं (iii) सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

10. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस योजना पर होने वाला यह व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा।

मुख्य शीर्ष '4701'– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–74– मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में पूर्ण किए जानेवाले योजनाओं का अवशेष एवं दायित्व कार्य, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य'', (49S-4701-80-796-74-00-05-45) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

12. वर्ष 2021–22 के तृतीय अनुपूरक बजट में पूर्ण किए जानेवाले योजनाओं का अवशेष एवं दायित्व कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है :–

शीर्ष 49S-4701-80-796-74-00-05-45 में रू० 786.00 लाख

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. राशि का आवंटन बजट उपबंध के अन्तर्गत किया जाएगा।

15. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

18. प्रस्ताव पर दिनांक 27.12.2021 की बैठक में राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की गयी है।

(i) CPM/PERT Chart पर Timeline तैयार करते हुए योजना को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किया जाएगा।

(ii) उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा Activity wise Plan की Monitoring की जाएगी।

(iii) Routine Maintenance Work का S.O.P तैयार किया जाएगा।

(iv) Inspection Mannual तैयार किया जाएगा।

(v) ससमय कार्य पूर्ण करने के लिए पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

19. प्रस्ताव पर कंडिका–'18' पर अंकित राज्य योजना प्राधिकृत समिति की शर्त्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने की शर्त्त के साथ वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24.02.2022 के मद सं०–23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

21. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

21/03/22

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1073/2018— 60/21-22 जो०बी०/राँची, दिनांक 23.03.22

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1073/2018— 60/21-22 जो०बी०/राँची, दिनांक 23.03.22

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/पाकुड़/देवघर कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1073/2018— 60/21-22 जो०बी०/राँची, दिनांक 23.03.22

प्रतिलिपि :— सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, साहेबगंज/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल सं०—1, बरहेट/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बरहड़वा/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1073/2018— 60/21-22 जो०बी०/राँची, दिनांक 23.03.22

प्रतिलिपि :— आयुक्त, संथालपरगना, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

22.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1073/2018— 60/21-22 जो०बी०/राँची, दिनांक 23.03.22

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव